I/249649/2022

संख्या-1188/अरसठ-4-2022

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Email से प्राप्त MDM/ [illegible] /389
दिनांक 19-12-2022

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2022

विषयः-मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत "तिथि भोजन" समान कार्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-म0भो0प्रा0/2077-78/2022-23 दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत "तिथि भोजन" समान कार्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

NE

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में "तिथि भोजन" कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने हेतु "तिथि भोजन" के अन्तर्गत छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति में विद्यालय के किचेन/परिसर में ही तैयार किया जायेगा। किसी भी स्थिति में बाहर पकाया हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जायेगा. "तिथि भोजन के अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन का मेन्यू प्रधान अध्यापक/विद्यालय समिति (एस०एम०सी०) के सदस्यों द्वारा तय किया जायेगा.

20/12/22
(विजय किरन आनन्द)
निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ

(2) किसी भी दशा में विद्यालय परिसर के बाहर बच्चों को भोजन ग्रहण करने हेतु नहीं भेजा जायेगा।

(3) भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य सामग्री/सहायता यथा -छात्रों को खाने हेतु सर्विंग प्लेट, डिनरसेट, कैसरोल, बर्तन व पीने के पानी हेतु प्यूरिफायर उपकरण इत्यादि तथा विद्यालय विकास हेतु अन्य योगदान भी स्वीकार किया जा सकता है।

(4) कतिपय जनपदों में विद्यालय परिसर में डाइनिंग शेड का निर्माण कराकर आत्मसम्मान के साथ बच्चों को भोजन ग्रहण कराया जा रहा है। यदि समुदाय का कोई सदस्य विद्यालय परिसर में स्थल उपलब्ध होने पर डाइनिंग शेड का निर्माण कराना चाहता है तो एसएमसी के माध्यम से करा सकता है।

-2/-

(5) यदि समुदाय का कोई सदस्य "तिथि भोजन " हेतु नगद धनराशि देना चाहें तो उसे मध्याह्न भोजन निधि/एस०एम०सी० के खाते में जमा करा दिया जायेगा। तदनुसार ही भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

(6) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि एक ही तिथि में समुदाय के कई लोग भोजन कराना चाहते हैं तो प्रधान/विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस०एम०सी०) के माध्यम से यह निर्णय लिया जायेगा कि किस व्यक्ति द्वारा उस तिथि में भोजन कराया जायेगा। जिस व्यक्ति द्वारा भोजन कराया जायेगा वह स्वयं भी उस तिथि में उपस्थित होगा और स्वयं भी भोजन ग्रहण करेगा। किसी भी स्थिति में बच्चों को आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं दिया जायेगा और न ही घर ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(7) तला हुआ भोजन यथा- पूड़ी, पराठा एवं पकौड़ी या जिनको तेल में तलने की आवश्यकता होगी नहीं दिया जाएगा।

(8) स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ताजे एवं मौसमी फल वितरित किये जा सकते हैं।

(9) उक्त भोजन में दूध से बने पदार्थों यथा- पनीर, खीर, दलिया को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(10) जंक फूड / फास्ट फूड, यथा- बर्गर, पिज्जा, मैगी इत्यादि का वितरण नहीं किया जाएगा।

(11) मिठाई नहीं स्वीकार की जायेगी।

(12) ''तिथि भोजन" दिवस पर खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट का उपभोग नहीं किया जाएगा।

(13) समुदाय के जो लोग "तिथि भोजन" कराना चाहते है उनके द्वारा वर्ग, लिंग, जाति आदि में कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

(14) तेल, मसाले, नमक इत्यादि योजनान्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप ही होने चाहिए।

(15) बाल भोजन के अन्तर्गत यदि फल/सूखे मेवे वितरित किये जायेंगे, तो उस दिन मध्याह्न भोजन भी जरूर बनेगा। छात्र चाहे तो मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन विद्यालय में खाकर मात्र फल सूखे मेवे घर ले जा सकते हैं।

(16) "तिथि भोजन" की तिथि में समुदाय के सदस्यों द्वारा पण्डाल सजावटी वस्तु व माइक का प्रयोग नहीं किया जायेगा, न ही इस संबंध में किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

(17) चुनाव के दौरान अर्थात आचार संहिता लागू होने के अन्तर्गत किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा नगद धनराशि व खाना वितरित नहीं कराया जाएगा।

(18) यदि "तिथि भोजन" के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्ति ऐसा भोजन बनवाना चाहते हैं, जिसमें अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता होगी, तो इस हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही अतिरिक्त रसोइया/हेल्पर आदि की व्यवस्था की जानी होगी तथा इस रसोइया /हेल्पर की व्यक्तिगत साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी ली जाएगी।

-3/

(19) उपलब्ध कराये गये भोजन/सहायता का सम्पूर्ण विवरण यथा- डोनर का नाम एवं पता, दिवस, प्रकार/मात्रा अनुमानित लागत इत्यादि का अंकन एक रजिस्टर में व्यवस्थित किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by अवधेश कुमार तिवारी
Date: 16-12-2022 19:04:51
Reason: Approved

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

3- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव।